संख्या-27/2019/288/22-4-19-107(ब)/12टी0सी0

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 31 मार्च, 2019

विषयः-प्रदेश की कारागारों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु स्थापित कराये गये सीसीटीवी कैमरों की फीड कारागार मुख्यालय में प्राप्त कर निगरानी की व्यवस्था की कार्ययोजना तथा इसके अन्तर्गत कमाण्ड सेण्टर/वीडियो वॉल बनाये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि का अग्रिम भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-8179/आधु-1/वीडियो वॉल/2015, दिनांक 19 मार्च, 2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 595.36 लाख को अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0 के पक्ष में अग्रिम भुगतान की अनुमति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

2- उक्त प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश की कारागारों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु स्थापित कराये गये सीसीटीवी कैमरों की फीड कारागार मुख्यालय में प्राप्त कर निगरानी की व्यवस्था की कार्ययोजना तथा इसके अन्तर्गत कमाण्ड सेण्टर/वीडियो वॉल बनाये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 5,95,36,000/-(रूपया पॉच करोड़ पन्चान्नवे लाख छत्तीस हजार मात्र) आहरित कर नामित कार्यदायी संस्था अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0 को अग्रिम भुगतान की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगें।

(2) पिछले स्वीकृत किये गये अग्रिम एवं अब स्वीकृत किये जा रहे अग्रिम के समायोजन की स्थिति से वित्त विभाग को प्रत्येक दशा में अवगत कराया जायेगा। समायोजन सुनिश्चित हो जाने के उपरान्त ही अगले अग्रिम आहरण का प्रस्ताव किया जायेगा।

(3) प्रक्योरमेण्ट मैनुअल 2016 के अध्याय-11 के प्रस्तर-11.8 के अनुसार ब्याज की देयता के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराई जायेगी।

(4) क्रय किये जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता एंव दर सुनिश्चित करने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) प्रश्नगत अग्रिम आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.83 तथा संख्या--ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनांक 10.06.2011 में निहित शर्तें/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(6) समस्त सम्बन्धित वित्तीय नियमों, प्रक्रिया और इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग की अशासकीय संख्या- एफ0ए0-1-ई-609/दस-2019, दिनांक 31 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-27/2019/288/22-4-2019, तद्दिनांकित -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3) निदेशक, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0, लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकरी, जवाहर भवन लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in